अंतर–धर्म मिश्र विवाह

अवसर, चुनौतियाँ एवं परिणाम

फादर डॉमिनिक वल्लियामतडम

आमुख

मिश्र विवाहों की संख्या समाज एवं धर्मों के विकास, लोंगो के बदलते विचार तथा अन्य कारणों से बढ़ती जा रही है। कुछेक दशक पहले, लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करते थे या अपने समाज एवं परिवार से भागकर गुमनाम जीवन बिताते थे। वर्तमान समय के युवा ऐसे तौर तरीका की तलाश में हैं ताकि वे उन्हें विवाह कर सकें जिन्हें वे प्यार करते है और साथ ही साथ दोनों वर–वधु धर्मांतरण किये बिना अपने अपने धर्म में आस्था रखकर जीवन बिता सके।

मिश्र विवाह कई कारणों से मिश्र होता है जैसाकि अलग धर्म, जाति, सम्प्रदाय आदि। सरकार तथा कुछेक समाजसेवी संस्थाएं मिश्र विवाह को प्रोत्साहित करते है क्योंकि माना जाता है कि मिश्र विवाह देश के एकीकरण, अलगाव को समाप्त करने तथा धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में योगदान दे सकता है। धार्मिक ओर जातीय कट्टरता को दूर करने हेतु मिश्र विवाह कुछ हद तक काम आता है।

अक्षीण प्रयासों के बावजूद भी मिश्र विवाह में भिन्नताएँ ज्यादा प्रकट होती है क्योंकि पति–पत्नी के लिए इन भिन्नताओं पर काबू पाना या उनका समन्वय करना उतना आसान नहीं जितना कि वे विवाह के पूर्व या विवाह के समय सोचे थे। परिवार, समाज, भोजन, रीति–रिवाज, व्यवहार, आस्था आदि के बारे में विभिन्न धर्म, जाति, और सम्प्रदाय के सदस्यों के विचार और मनोवृत्ति भिन्न हैं जो वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करती है। बच्चों के जन्म के समय, बच्चो के धर्म, शिक्षा, जीवन आदि पर निर्णय लेते समय ये भिन्नताएँ ज्यादा पेचिदा बन जाती है । कई मिश्र विवाहित पति–पत्नियों में धार्मिक निष्क्रियता एवं उदासीनता पनपने लगती है।

इस लेख में, मिश्र विवाह का मतलब केवल अंतर–धर्म विवाह है। इस लेख में हमारा ध्यान ईसाई विश्वासियों पर केन्द्रित है जो अन्य धर्म के लोगों को अपने जीवन साथी/संगिनी बनाते है । प्रत्येक ईसाई व्यक्ति अपने देश का नागरिक है, अतः उनको देश के नियमों का पालन करना है। भारत में विवाह नियम, व्यक्तिगत नियम (Personal Law) के दायरे में आता है। मिश्र विवाह में व्यक्ति नियमों का पालन करना दुष्कर है क्योंकि पति–पत्नि भिन्न धर्म के सदस्य है और दोनों के नियम न केवल भिन्न हैं बल्कि एक दूसरे के धर्म के विरूद्ध भी हो सकते है। कभी–कभी ये नियम नैसर्गिक नियमों के विरूद्ध है जो परिष्कृत समाज की अन्तरात्मा की आवाज को ठेस पहूँचाते है। कुछेक नियम भारत के संविधान के तात्पर्यों से भी मेल नहीं खाते हैं । व्यक्तिगत नियमों के कई प्रावधान मिश्र विवाह में बडी अडचन पैदा करने वाले हैं। अतः इन व्यक्तिगत नियमों को सुधारना एवं आधुनिक बनाना देश के नरगरिकों के हित में है तथा अनिवार्य है ।

विषय सूचि

आमुख

अध्याय 1: मिश्र विवाह के प्रति काथलिक कलीसिया के दृष्टिकोण

1.1 मिश्र विवाह पवित्र बाइबल में
1.1 मिश्र विवाह पुराने विधान में
1.1.1 वर्जित करनेवाली विचारधारा
1.1.2 स्वीकारात्मक या बरदाश्त करनेवाली विचारधारा
1.2 मिश्र विवाह नये विधान में
1.2 पूर्वाचार्यों की शिक्षाएँ (Patristic teachings)
1.3 आरंभकालीन धर्म सभाएँ (Early Councils)
1.4 संत पापाओं की शिक्षाएँ (Papal Teachings)
1.5 वाटिकन द्वितीय महासभा
1.6 काथलिक कलीसिया की धर्मशिक्षा (Catechism of the Catholic Church)
1.7 कानून नियम संहिता (Papal Teachings)
1.8 प्रवासियों की ओर मसीह का प्यार
1.9 धार्मिक संबोधनः प्रेम का आनन्द

अध्याय 2: मिश्र विवाह कानून नियम एवं काथलिक धर्मविधि

2.1 कानून नियम
2.1.1 काथलिक वधु/वर द्वारा घोषणा
2.1.2 गैर– काथलिक पक्ष को सूचना
2.1.3 विवाह की धर्मशिक्षा
2.1.3.1 विवाह के उद्देश्य
2.1.3.2 विवाह के अनिवार्य गुण
2.1.3.3 मिश्र विवाह एक उपसंस्कार
2.2 विवाह स्थल

2.3 विवाह की धर्मविधि
2.3.1 मिस्सा बलिदान
2.3.2 पवित्र वचन की उद्घोषणा
2.3.3 द्विसमारोह (Double Celebrations)

अध्याय 3: मिश्र विवाह एवं व्यक्तिगत नियम का प्रभाव

3.1 मिश्र विवाह में धर्मविधि या अनुष्ठान का चयन
3.1.1 ईसाई–हिंदू विवाह
3.1.2 ईसाई–मुसलमान विवाह
3.1.3 ईसाई–पार्सी विवाह
3.1.4 ईसाई–यहूदी विवाह
3.1.5 ईसाई–आदिवासी विवाह
3.2 विशेष विवाह अधिनियम 1954
3.2.1 प्रायोज्यता
3.2.2 शदी के लिए शर्तें
3.2.3 विशेष विवाह अधिनियम के अंतरगत मिश्र विवाह का परिणाम

उपसंहार

अध्याय–1

मिश्र विवाह – काथलिक कलीसिया का दृष्टिकोण

1.1 मिश्र विवाह पवित्र बाइबल में
1.1 मिश्र विवाह पुराने विधान में
1.1.1 वर्जित करनेवाली विचारधारा
1.1.2 सकारात्मक या बरदाश्त करनेवाली विचारधारा
1.2 मिश्र विवाह नये विधान में
1.2 पूर्वाचार्यों की शिक्षाएँ (Patristic teachings)
1.3 आरंभकालीन धर्म सभाएँ (Early Councils)
1.4 संत पापाओं की शिक्षाएँ (Papal Teachings)
1.5 वाटिकन द्वितीय महासभा
1.6 काथलिक कलीसिया की धर्मशिक्षा (Catechism of the Catholic Church)
1.7 कानून नियम संहिता (Papal Teachings)
1.8 प्रवासियों की ओर मसीह का प्यार
1.9 धार्मिक संबोधनः प्रेम का आनन्द

आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो (Heb : 13/4)

अन्तर धर्म विवाह के प्रति काथलिक कलीसिया का विशाल, वस्तुनिष्ठ एवं व्यवहारिक रवैया रहा है। मिश्र विवाह पर कलीसिया की शिक्षाएँ, नीतियाँ व नियम, कलीसिया का सिद्दान्त " सारी मानव जाति एक समुदाय है.... एवं सभी मानवों का एक सर्वमान्य लक्ष्य ईश्वर है" (Vat .II N.E.1) पर आधारित है । कलीसिया मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सिखाती है कि अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करना नैसर्गिक अधिकार है। मिश्र विवाह में कई चुनौतियाँ एवं संभावित जोखिम भी है जिसके बारे में कलीसिया अपनी शिक्षाओं के द्वारा सचेत करती है। काथलिक कलीसिया विश्वासियों की भलाई तथा विश्वास संरक्षण के हित में

अनुशासित करती है कि विश्वासी लोग कलीसिया के नियमों के अनुसार ही विवाह करें, अन्यथा ऐसा विवाह अमान्य माना गया है।

एक ख्रीस्तीय विश्वासी का अन्य धर्म के वर/वधु के साथ विवाह करना उचित या अनुचित है? बाईबल इस विषय पर क्या कहती है ? काथलिक कलीसिया इस विषय पर क्या सिखाती है ? सम्मानित विवाह एवं अदूषित दाम्पत्य जीवन पारिवारिक एवं कलीसियायी जीवन में अनिवार्य है।

1.1 मिश्र विवाह पवित्र बाईबल में

1.1.1 पुराने विधान में

पुराने विधान में मिश्र विवाह के बारे में दो विचार धाराऐं है–

(i) वर्जित करने वाली एवं
(ii) सकारात्मक या कम से कम बरदाश्त करने वाली।

1.1.1.1 मिश्र विवाह को वर्जित करने वाली विचार धारा

मूसा नबी द्वारा लिखित माना गया पंच ग्रन्थ (बाईबल के पहले पांच ग्रन्थ) में इश्राएली समाज के बाहर के लोगों के साथ विवाह करने की भर्त्सना की गयी है (निर्गमन 34:16; वि.वि. 7:1–6)। योशुआ नबी के विदाई भाषण में, गैर–यहूदियों के साथ इश्राएलीयों (यहूदियों) के विवाह का दृढता से विरोध किया है (योशुआ 23:12–13)। जब दाऊद राजा हित्ती जाति के उरिया की पत्नी बतशेबा को अपनी पत्नी बनाया तो इश्रायल में उसका बहुत विरोध हुआ (2 सामुएल 11:3; 12:14)। राजाओं के स्वार्थसाधक विजातीय विवाहों के विरूद्ध नबियों ने फटकार लगाई है (1 राजा 11:1–2;16:31)। निर्वासन के बाद पालस्तीन में लौटे इश्राएली लोग कनानी, हित्ती एवं अम्मोनी स्त्रीयों के साथ विवाह रचा जिनको समाज ने सामूहिक कार्यवाही के द्वारा भंग किए। उन लोगों नें अपनी विजातीय पत्नियों तथा उन से जन्मे बच्चों को परित्याग करने का निर्णय लिया (एज्रा10:5;, नेहम्या 10:28–30;13:23–27)।

इश्रायलियों में विजातियों के साथ मिश्र विवाह वर्जित करने के विशेषतः दो कारण माने गये हैः (i) विजातियों से मिलने जुलने के कारण यहूदी धर्म को संभावित दूषण से बचाना। (ii) ईवर द्वारा इश्राएल को प्रदत्त जमीन को गैर यहूदियों के हाथों में हस्तान्तरित होने से बचाना (निर्गमन 34:12–16; विधि7:3–4 ; योशुआ

23:12–13; गणना 36:1–12)। यहोवा ने आदेश दिया है, "भूमि मेरी है। तुम उसमें परदेशी और अतिथि–मात्र हो" (लेवी 2:23) ।

मलआकी 2:10–16 में यहूदियों को विजातीयों से विवाह करने पर आपत्ति धार्मिक कारणें से है क्योंकि यहूदी लोग यहोवा की सन्तान है जबकि विजातीय लोग अपने राष्ट्र के देवी–देवताओं की सन्तान है। अतः विजातीयों से विवाह करना यहोवा के विरूद्ध एवं यहूदी बिरादरी के विरूद्ध माना गया है।

1.1.1.2 सकारात्मक या बरदाश्त करने वाली विचार धारा

पुराने विधान में ऐसे कई प्रमाण मिलते है कि बहुत से इश्राएली श्रेष्ठ लोगों ने विजातीयों के साथ विवाह किये। एसाव ने दो हित्ती स्त्रीयों से (उत्पत्ति 26:34) एवं एक कानानी स्त्री (उत्पत्ति 28:6–9) से विवाह किया था। यूसूफ ने मिश्र देश की बेटी से (उत्पत्ति 41:45); मूसा नबी ने एक मिदयानी स्त्री से (निर्गमन 2:21); सामसन ने फिलीस्तीनी महिला से (न्यायकर्ता 14;16:4–22); बोआज ने मोआबिनी रूत से (रूत 4:13); दाऊद ने किलआब वंशज एवं अरामी वंशज महिलाओं से (2 सामुएल 3:3) विवाह किये थे। राजा सुलेमान ने बहुत सारे विजातीय महिलाओं से विवाह किया था (1 राजा 3:1; 11:1; 14:21) । पुराने विधान में इश्राएली महिलाओं का विजातीय पुरुषों से विवाह करने का प्रमाण भी मिलता है – हित्ती बतशेवा ने (1 सामुएल 11:3), एस्तेर ने पेरसिया के राजा अर्तजर्कसीस से (एस्तेर 2:16); शेशान ने अपनी एक पुत्री को मिश्री सेवक से विवाह कराया (1 इतिहास 2/34–35)। विधि विवरण ग्रन्थ 7:1–3 में सात राष्ट्रों के लोगों के साथ विवाह करने को मना किया न कि सभी विजातियों के साथ।

1.1.2 नए विधान में

1 पेत्रुस 3:1–7 विश्वासी पति–पत्नियों का प्रबोधित करता है कि वे अपने अनुकरणीय व्यवहार एवं अपने वैवाहिक जीवन के उत्तम पालन द्वारा अपने अन्य धर्मावलंबी पति/पत्नी को ख्रीस्तीय विश्वास में प्रेरित करें। अतः संत पेत्रुस मिश्र विवाह को सुसमाचार के आदान प्रदान में सुअवसर के रूप में देखते है।

1 कुरिन्तियों 7:12–16 में संत पौलुस ख्रीस्तीय विश्वास स्वीकार किए पति/पत्नी को आदेश देता है कि वे अपने अख्रीस्तीय पति/पत्नी को परित्याग नही करें यदि वह अपने विश्वासी पति/पत्नी के साथ रहने के लिए राजी है। यद्यपि, संत

पौलुस ने अख्रीस्तीय के साथ विवाह करने को निरूत्साहित किया है (2 Cor. 6:14)। स्वधर्मत्याग (apostacy) और धार्मिक उदासीनता (religious indifference) के खतरों से बचे तो ख्रीस्तीय और अख्रीस्तीयों के बीच मिश्र विवाह प्रतिबंधित करने का कोई तर्क संगत कारण नहीं है।

1.2 पूर्वाचार्यों की शिक्षाएँ (Patristic Teachings)

मिश्र विवाह के संबन्ध में कलीसिया के आदि–कालीन आचार्यों की शिक्षा एक–जैसी नही थी। इन आचार्यों के द्वारा बाईबल उद्धरण की व्याख्या एवं अपनी समयकालीन परिस्थितियों के कारण मिश्र विवाह विषय में इन आचार्यों के अलग–अलग विचार रहे। कुछ आचार्यों ने मिश्र विवाह पर निन्दात्मक रवैया अपनाया जबकि अन्य आचार्यगण ने इस विषय में आपेक्षिक सौम्यता दर्शायी।

तेरतुलियन (223 AD) ने मिश्र विवाह को ख्रीस्तीय समाज के विरूद्व बड़ा गुनाह माना है। सेंट सिप्रियन, कारतेज के बिशप (258 AD), ने मिश्र विवाह को ख्रीस्तीय शरीर के सदस्यों को प्रकट रूप से विजातीयों के हाथों में परित्याग करना माना है। संत अंब्रोस (397 AD) मिश्र विवाह के कडे विरोधी थे। उनके विरोध का कारण अख्रीस्तीय लोग बपतिस्मा ग्रहण नहीं किये है। उनका मानना है कि जहॉ विश्वास में भाईचारा नहीं है, ऐसे विवाह को ख्रीस्तीय विवाह नहीं कहा जा सकता।

संत क्रिसोस्टम (407 AD) मिश्र विवाह के बारे में ज्यादा उदारवादी विचार प्रकट करते है एवं मिश्र विवाह की सराहना करते है क्योंकि उनका मानना है कि मिश्र विवाह सुसमाचार आदन–प्रदान में ईश्वर का प्रदत्त सुअवसर है और इसी संदर्भ में वे मिश्र विवाह की व्याख्या सकारात्मक रीति से करते है।

हिप्पो के संत अगस्तीन (430 AD) ने स्पष्ट किया है कि उनके समय काल में अन्य धर्म के लोगों के आपस के विवाह को अधिकतर लोग पाप या गलत नही मानते थे क्योंकि नये विधान में कहीं भी मिश्र विवाह की एकदम निन्दा नहीं की गई है। इसलिए यदि मिश्र विवाह के गैर काथलिक पक्ष, ईसाई बनने का वायदा किया करते थे तो मिश्र विवाह के प्रति सहिष्णुता दर्शायी जाती थी ।

मिश्र विवाह के प्रति अगस्तीन एवं क्रिसोस्टोम की नरम विचार धाराऐं उसी पृष्ट भूमि में थी कि चौथी एवं पॉचवी शताब्दी तक कलीसिया का उत्पीड़न (Persecution) का काल बीत गया और बहुत सारे लोग ख्रीस्तीय विश्वास स्वीकार कर रहे थे। ऐसे संदर्भ में कलीसिया के आचार्यों ने मिश्र विवाह को सुसमाचार आदान प्रदान के अवसर (Missionary Opportunity) के रूप में देखा। संक्षिप्त में, विश्वासियों का विश्वास संरक्षण ही इन दोनों तरह के विचारधाराओं एवं अनुवर्ती कानूनों का उद्देश्य रहा।

1.3 आरंभ कालीन धर्म सभाऐं (Early Councils)

एलविरा की धर्म सभा (Synod of Elvira 305 AD) ऐसी पहली धर्मसभा थी जिसमें मिश्र विवाह को वर्जित कर कानून बनाया था। उसी समय स्पेन में ईसाई धर्मावलंबी अलपसंख्यक थे और उन्हें यहूदी लागों द्वारा धर्म परिवर्तन करने से संरक्षण की जरूरत थी और इसलिए मिश्र विवाह को वर्जित कर नियम बनाया कि–

> "ईसाई पुत्रियों को, पुत्री बाहुल्य के बहाने, विजातीयों को विवाह में नही दिया जाऐं, जिससे युवावस्था में प्रवेश करने वाली कन्या इस प्रकार के अपवित्र संबन्ध से कहीं नष्ट न हो जायें।" (कानुन 15)

इस कानून में कोई दण्ड का प्रावधान नही था किंतु विजातीय पुरोहितों से विवाह करने पर कड़े दण्ड निर्धारित किये गये थे –

> "कोई भी विश्वासी अपने पुत्रियों को यदि विजातीय पुरोहितों को विवाह में दे तो यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय भी परम प्रसाद नही दिया जाऍ ।" (कानून–17)

फ्रान्स में हुआ आर्लस धर्म सभा (Synod of Arles 314AD) ने निर्धारित किया कि अन्य धर्मावलंबी से विवाह करनेवाली लड़की को दण्डित किया जायें न कि उनके माता–पिता को–

> मिश्र विवाह करने वाली लड़कियों को परम प्रसाद से कुछ समय के लिए अलग किया जायें। (कानून–11)

लाओडीसिया की धर्म सभा (372 AD) ने ख्रीस्तीयों को मिश्र विवाह करने से मना किया किंतु यदि अख्रीस्तीय पक्ष ख्रीस्तीय बनने का वायदा करने पर राजी हो, तो ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाता था।

कारतेस की धर्मसभा (451AD) ने अन्य जाति के लोगों के साथ सामूहिक समारोह को भी मना किया था क्योंकि ऐसा सामूहिक समारोह विश्वास संरक्षण में बाधा माना जाता था ।

ओरलियन्स (533 AD) की धर्म सभा ने यहूदियों के साथ विवाह को निषिद्ध बना दिया और जो इस कानून के विरूद्ध विवाह करते है उनको समाज से बहिष्कृत (excommunicate) किया जाता था।

1.4 संत पापाओं की शिक्षाऐं

ट्रेन्ट महासभा (1869 – 1870) के बाद से वाटिकान प्रथम महासभा (1869-1870) तक कोई सार्वभौमिक महासभा (ecumenical council) नही हुई थी । इन तीन शताब्दियों में कलीसिया का मार्गदर्शन विशेषतः संत पापाओं की आधिकारिक शिाक्षाओं के जरिए ही रहा।

संत पापा बेनेडिक्ट चौदवॉ (1740–1758) ने पोलण्ड के धर्माध्यक्षों को 1748 में भेजे पत्र में स्पष्ट किया कि काथलिक कलीसिया मिश्र विवाह को न पंसद करती है और मिश्र विवाह के लिए बिरले ही अनुमति दी जाती है, वह भी शर्तों के पालन करने के आश्वासन के आधार पर।

संत पापा क्लेमेन्ट तेरहवॉ ने अपने पत्र (dated 16.11.1763) में लिखा कि मिश्र विवाह काथलिक कलीसिया में बड़ी हानि पहुॅचाता है। ऐसे विवाह के बच्चों पर भी बड़ी क्षति होती है क्योंकि दोनों पति–पत्नी बच्चों को अपने–अपने धर्म में खींचने का प्रयास करेंगे ओर आखिरकार बच्चे अधार्मिक हो जाऐंगे। मिश्र विवाह ने केवल आधार्मिकता एवं अपधर्म (heresy) को बढ़ावा दिया है; न कि काथलिक विश्वास का प्रचार । पूर्व के संत पापाओं की तुलना में संत पापा पियूस छटवॉ एवं पीयूस सातवॉ मिश्र विवाह के बारे मे मृदुल रहे एवं पुरोहितों को मिश्र विवाह में उपस्थित रहने की अनुमति दी। संत पापा लियो तेरहवॉ ने भी पूववर्ती संत पापाओं की शिक्षा को दुहराया एवं पारिवारिक एकता पर केन्द्रित करते हुए सिखाया कि मिश्र विवाह पारिवारिक एकता को जोखिम में डालता है।

1.5 वाटिकन द्वितीय महासभा (1962–1965)

वाटिकन द्वितीय महासभा (1962–65) ने मिश्र विवाह के प्रति कलीसिया का नजरिया बदल डाला। मिश्र विवाह के संबन्ध में इस महासभा की मुख्य शिक्षाओं को क्रियान्वित करते हुए निम्न दस्तावेजों (documents) को जारी किया गया –

(i) *Matrimonii Sacramentum* of March 18, 1966 – इसके द्वारा मिश्र विवाह संबन्धित पुराने कठोर नियमों को मृदुल बनाया गया।

(ii) *M. P. Matrimonia Mixta* of March 31, 1970 इस दस्तावेज के आधार पर मिश्र विवाह से संबन्धित वर्तमान नियम can 1086 एवं 1124–1129 बनाया गया है।

1.6 काथलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा (Catechism of the Catholic Church)

1992 में प्रकाशित काथलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा में मिश्र विवाह के संबन्ध में कलीसिया का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत किया गया है । मिश्र विवाह को कोई दुर्लध्य समस्या के रूप में नहीं बल्कि समस्याओं की वास्तविकता को अवगत कराते हुए मिश्र विवाह को कलीसिया की शिक्षा के अनुसार संपन्न करने तथा खीस्तीय विश्वास में जीने के अवसर के रूप में प्रतिपादित किया गया है [nos. 1634-1637]।

> "पति–पत्नी भिन्न धर्म के होने के कारण विवाह में ऐसा कोई दुर्लध्य विघ्न पैदा नही करता जब दोनों पति–पत्नी अपने–अपने धर्म के तत्वों व आदर्शों को एक साथ लाने, एक दूसरे से सीखने एवं एक दूसरे को उत्प्रेरित करने को तैयार हो जाएँ। यद्यपि मिश्र विवाह की मुश्किलों को कम अनुमानित न करें क्योंकि प्रेमोन्माद एवं द्रुत निर्णय जो मिश्र विवाह में अक्सर होता है, वही कई समस्याओं की जड़ बन सकता है (no. 1634) ।

पति–पत्नी अपने वैवाहिक जीवन द्वारा एक दूसरे को पवित्र करने के लिए बुलाए गये है। पत्नी अपने पति की मुक्ति का कारण बन जाये और पति अपनी पत्नी की मुक्ति का कारण (1 Cor 7/14) । इस बुलाहट को समझनेवाले पति–पत्नी के लिए मिश्र विवाह भी सुअवसर है जो कलीसिया के प्रेरिताई कार्य में सहभागी हो रहे है ।

1.7 कानून नियम संहिता (Code of Canon Law)

1983 में उद्घोषित लतीनी (Latin) एवं 1990 में उद्घोषित पुर्वी (Oriental) कानून नियम संहिताओं (Codes of Canon Law) ने वटिकान द्वितीय महासभा की शिक्षा के अनुसार मिश्र विवाह से संबन्धित नियमों को मृदुल बनाया गया है। कानून 1086 एवं 1124 से 1129 लतीनी कलीसिया के तथा कानून पुर्वी कलीसिया के मिश्र विवाह से संबन्धित वर्तमान में प्रचलित कानून है जिसकी विस्तृत जानकारी अध्याय 2 में दीा गयी है।

1.8 अनुदेशः प्रवासियों की ओर मसीह का प्यार *(Instruction Erga Migrantes Caritas Christi)* 2004

प्रवासियों की देखभाल केलिए संत पापा के द्वारा गढित परिषद ने यह अनुदेश किया है। मिश्र विवाह के बारे में इस अनुदेश का क्र. 63 कहता है–

> काथलिक और गैर–ख्रीस्तीयों के बीच संभावित विवाहों को निरूत्साहित करना चाहिए। संत पापा जॉन पौल द्वितीय के शब्दों को वास्तव में याद रखना चाहिए, "परिवारों में जहॉ दोनों माता–पिता काथलिक है उनके लिए अपने काथलिक विश्वास को अपने बच्चों के साथ बाटना आसान है।" हम कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते है कि कई मिश्र विवाह के पति–पत्नी अपने विवाह को तथा अपने बच्चों को विश्वास एवं पारिवारिक पवित्रता में दृढ़ किये है, फिर भी यह धर्म सभा एक ही विश्वास के लोगों के बीच में विवाह के लिए जो प्रयास जारी है उसको प्रोत्साहित करती है।"

क्र. 66–68 में काथलिक–मुस्लिम विवाह के बारे में विशेष उल्लेख किया है। इस अनुदेश में विशेषकर काथलिक लडकियों का मुस्लिम पुरूषों से विवाह करने को दृढ़ता से निरूत्साहित किया है क्योंकि काथलिक एवं मुस्लीम लोगों में गंभीर धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर है। किसी कारणवश काथलिक–मुस्लिम विवाह अपरिहार्य है तो दोनों पक्षों को विवाह के लिए सावधानी से तैयारी करने की ज़रूरत है । ऐसा होने पर काथलिक पक्ष बच्चों को बप्तिस्मा देने में अश्वस्त होना चाहिए और किसी प्रकार की इस्लामिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से जो प्रतिज्ञा लेने जैसा है, या 'शहादा' जैसे इस्लामिक धर्मविश्वास की घोषणा जैसे विधियों से बचकर रहना अनिवार्य है ।

सभी काथलिक कलीसिया की अपेक्षा के अनुसार विवाह करने केलिए दृढ संकल्पित होना चाहिए । विभिन्न काथलिक संघों व स्वयेसेवी संस्थओं की जिम्मेदारी है कि काथलिक–मुस्लिम विवाह रचे उन परिवारों को परामर्श प्रदान करना, बच्चों की शिक्षा में मदद करना और जहॉ जरूरी है, मुस्लिम परिवार के न्यूनतम संरक्षित व्यक्ति, याने कि महिलाओं, को अपने अधिकारों के बारे में अवगत कराना और अधिकारों की पुर्ति केलिए दृढता से आग्रह करना ।

1.9 धार्मिक संबोधन 'प्रेम का आनन्द' (*Amoris Laetitia*)

संत पापा फ्रान्सिस द्वारा प्रख्यापित इस संबोधन में मिश्र विवाह की वर्तमान शिक्षा प्रदान की गई है। क्र. 248 में अंतरधर्म विवाह की समस्याओं एवं चुनौतियों का उल्लेख किया है। मिश्र विवाह जोड़ों को न केवल विवाह पूर्व बल्कि विवाहोपरान्त भी मेषपालीय प्रेरितिक देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे विवाह में जन्में बच्चों का बपतिस्मा एवं ख्रीस्तीय विश्वास में पालन–पोषण करना भी जरूरी है।

> अन्य धर्मों के साथ संवाद करने का अवसर बनाने में अंतर–धर्म मिश्र विवाह का एक विशिष्ठ स्थान है...। मिश्र विवाह में विशेष कठिनाईयॉ है जो ख्रीस्तीय परिवार की एकात्मकता तथा बच्चों के धार्मिक शिक्षा–दीक्षा से संबन्धित है । अंतरधर्म मिश्र विवाह परिवारों की संख्या मिशन देशों तथा खीस्तीय देशों में भी बढती जा रही है और उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार विशेष मेषपालीय प्रेरितिक देखभाल की जरूरत होती है। किन्हीं देशों में जहॉ धर्म स्वतन्त्रता नहीं है, वहॉ काथलिक को अन्य धर्म में धर्मपरिवर्तन कर लेना पडता है जिस कारण सें गिरजा शादी संभव नहीं हो पाता एवं बच्चों का बपतिस्मा नही हो पाती। अतः सबों को धर्म स्वातन्त्र्य प्राप्त होना अनिवार्य है।

कई मिश्र विवाह अनियमित स्थिति (irregular) में है। संत पापा फ्रान्सिस अपने उद्‌बोधन में आग्रह करते है कि लोगों को कैसे अनियमित स्थिति से नियमित स्थिति में लायें जिससे उनकी मेषपालीय देखभाल हो सके। क्र. 296 में इस मेषपालीय रवैया (Pastoral attitude) का व्यवहारिक एवं कलीसियायी रूप देने का आह्‌वान किया गया हैः

कलीसिया के इतिहास की पुनरावृत्ति की दो तरीका हैः परित्याग (Casting off) और बहाली का (reinstate)। कलीसिया का मार्ग, येरूसलेम धर्मसभा के समय से सदा ही येसु का मार्ग रहा है – दया एवं बहाली का । कलीसिया का मार्ग कभी भी किसी को दोषी ठहराना नही बल्कि ईश्वर की मरहम उन सबों पर उॅड़ेलने के लिए है जो सच्चे दिल से दया मांगते है क्योकि सच्ची दया अनर्जित (unmeritted), शर्तरहित (unconditinal) एवं मुफ्त (gratuitous) होती है।

उपसंहार

ख्रीस्तीय परिवार का उद्‌गम ही विवाह है, जो येसु मसीह और कलीसिया के बीच के प्रेम की साझेदारी का प्रतीक है [Vatican II, *Gaudium et spes*, n.48]। वैवाहिक जीवन में यह साझेदारी प्रदूषित हो सकती है विशेषकर जब ख्रीस्तीय पति/पत्नी को अपना वैवाहिक जीवन, ख्रीस्तीय विश्वास से हटकर भिन्न धार्मिक विश्वास में जीना पडता है । अंतर धर्म विवाह अपने ही परिवार में विभाजन पैदा करता है । इसी कारण से काथलिक कलीसिया परम्परागत एवं दृढता से सख्त रवैया इस विषय पर अपनाती है । परिवार के समन्वय और बच्चों को ख्रीस्तीय विश्वास में पालन–पोषण करने के लिए एक ही धर्म के वर–वधु के बीच के विवाह को काथलिक कलीसिया अनुयोज्य मानती है । संभावित धार्मिक अपसरण एवं विश्वास के विरूद्ध अन्य चुनौतियों के कारण काथलिक कलीसिया अंतरधर्म मिश्र विवाहों को प्रोत्साहित नहीं करती है ।

हर व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के मुलभूत अधिकार को कलीसिया मान्यता देती है [cfr. Matrimonia Mixtra, 3] और इस कारण कलीसिया अंतरधर्म मिश्र विवाहों के प्रति सहिष्णुता दर्शाती है और हर संभव सहायता प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त, कलीसिया यह भी मानती है कि यदि धार्मिक अपसरण एवं विश्वास क्षति न हो तो अंतरधर्म मिश्र विवाह अंतर धर्म संवाद एवं प्रेरितिक कार्य के लिए अवसर प्रदान करता है । कलीसिया का मानना है कि विभिन्न काथलिक संघों व स्वयेसवी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे मिश्र विवाह परिवारों को परपमर्श प्रदान करें और उनके बच्चों की शिक्षा में मदद दें ।

अध्याय–2

मिश्र विवाह कानून नियम एवं काथलिक धर्मविधि

2.1	कानून नियम
2.1.1	काथलिक वधु/वर द्वारा घोषणा
2.1.2	गैर–काथलिक पक्ष को सूचना
2.1.3	विवाह की धर्मशिक्षा
2.1.3.1	विवाह के उद्देश्य
2.1.3.2	विवाह के अनिवार्य गुण
2.1.3.3	मिश्र विवाह एक उपसंस्कार
2.2	विवाह स्थल
2.3	विवाह की धर्मविधि
2.3.1	मिस्सा बलिदान
2.3.2	पवित्र वचन की उद्घोषणा
2.3.3	द्विसमारोह (Double Celebrations)

Beware of having relations outside marriage! Let each man have his own wife and each woman her own husband. Let the husband fulfil his duty of husband and the wife likewise. [1Cor. 7:2-3]

इस अध्याय में काथलिक–अन्य धर्मी मिश्र विवाह से संबधित कलीसिया के नियम एवं धर्मविधियों को संक्षिप्त रूप में प्रतिपादित किया गया है । मिश्र विवाह नियमों के लिए कलीसिया के कानून नियम (Codes of Canon Law) नियमों और धर्म विधि के लिए 'विवाह की धर्मविधि' (Rite of Marriage) एवं 'ईसाई एकता निर्देशिका' (ecumenical directory) को निर्देश ग्रथों के रूप में लिया गया है ।

2.1 कानून नियम

काथलिक वधु/वर का अन्य धर्मी वधु/वर के साथ विवाह को 'अंतर धर्म मिश्र विवाह' कहा जाता है । अंतर धर्म (Disparity of Cult) को काथलिक विवाह में रूकावट (Impediment) माना गया है जो विवाह को रद्द करता है । किन्हीं परिस्थितियों में एवं कुछेक शर्तों के आधार पर धर्माध्यक्ष इस रूकावट से छुटकारा (Dispensation) देते है एवं तदुपरान्त संपन्न होनेवाले मिश्र विवाह को मान्य माना जाता है । कानून 1086, अंतर धर्म मिश्र विवाह से संबधित कानून है ।

कानून 1086§1 विवाह के एक पक्ष (वधु/वर) जो काथलिक कलीसिया में बपतिस्मा ग्रहण किए हो, अन्य कलीसिया से काथलिक कलीसिया में स्वीकार किये हो, जो औपचारिक रूप से काथलिक कलीसिया को न छोडे हो और दूसरा पक्ष (वधु/वर) बपतिस्मा प्राप्त न किये हो, उनके बीच संपन्न होता विवाह अमान्य है ।

§2 इस रूकावट से छुटकारा तब तक नहीं दिया जायें जब तक कानून 1125–1126 में दिये गये शर्तों का पूरा पालन न किया हो ।

उपरोक्त कानून के अनुसार ये नियम केवल काथलिकों के लिए बाध्य है; न कि अन्य कलीसियाओं के सदस्यों को या जो काथलिक कलीसिया को छोड चुके हैं । धर्माध्यक्ष द्वारा इस रूकावट से छुटकारा देने केलिए कानून 1125–1126 में दिये गये शर्तों को पूरा करना है जो निम्नलिखित है ।

कानून 1125 मिश्र विवाह के लिए, न्यायसंगत एवं तर्कसंगत कारण होने पर, धर्माध्यक्ष अनुमति प्रदान कर सकते है । वे तब तक अनुमति प्रदान न करें जबतक निम्न शर्तों की पूर्ति न हो ।

1. काथलिक वधु/वर को घोषणा करना होगा कि वह विश्वासच्युति की जोखिमों को दूर करने का प्रयास करेगा और प्रतिज्ञा करेगा कि अपने सभी बच्चों को बपतिस्मा देंगे और काथलिक विश्वास में पालन–पोषण करने का हर संभव प्रयास करेंगे ।
2. दूसरे पक्ष (वधु/वर जो काथलिक नही है) को काथलिक वधु/वर द्वारा दी गयी घोषणा के बारे में उचित समय पर

सूचित करे ताकि काथलिक वधु/वर द्वारा दी गयी प्रतिज्ञा तथा काथलिक पक्ष के दायित्व की सही जानकारी प्राप्त हो ।

3. काथलिक और गैर–काथलिक पक्षों के विवाह के उद्देश्य, एवं अनिवार्य गुणों के बारे में सुशिक्षित करना अनिवार्य है ताकि विवाह के इन मुलभूत सिद्धान्तों को वधु–वर विवाह से अलग न करें ।

2.1.1 काथलिक वधु/वर द्वारा घोषणा

कानून 1125 में गैर–काथलिक पक्ष से उपरोक्त घोषणा या प्रतिज्ञा की अपेक्षा नहीं करती है । कानून 1125, 1 में बतायी गयी घोषणाएँ या प्रतिज्ञाएँ करने के लिए केवल काथलिक पक्ष ही बाध्य है । काथलिक पक्ष को अंतर धर्म मिश्र विवाह की जोखिमों के बारे में अवगत होना और गैर–काथलिक पक्ष से इन विषयों पर चर्चा कर अपना धार्मिपना धार्मिक जीवन, बच्चों के धर्म आदि विषयों पर निर्णय लेना चाहिए । काथलिक माता–पिताओं को कलीसिया द्वारा अपने बच्चों के प्रति कई जिम्मेदारियॉ सौंपी गई हैः – बच्चों के जन्म के बाद जल्दी उन्हें बपतिस्मा देना (कानून 867§1); दृढीकरण एवं परमप्रसाद संस्कार के लिए तैयारी करना (कानून 890&914); अपने घर में बच्चों को समुचित धर्मशिक्षा देना (कानून 774§2); घर के बाहर धर्मशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना (कानून 793§1), आदि । अंतर–धर्म रूकावट से छुटकारा पाने हेतु काथलिक पक्ष को उपरोक्त बातों के पालन करने की घोषणा करनी चाहिए । इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए काथलिक पक्ष हर संभव प्रयास करने के लिए बाध्य है, असंभव के लिए नहीं ।

2,1,2 गैर–काथलिक पक्ष को सूचना देना

हालॉकि गैर–काथलिक पक्ष को कोई प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत नहीं है तो भी काथलिक के द्वारा दी गयी प्रतिज्ञाओं तथा उनको निभाने की काथलिक पक्ष की जिम्मेदारी के बारे में गैर–काथलिक पक्ष को अवगत कराना अनिवार्य है । पल्लिपुरोहित या अन्य पुरोहित जिनको विवाह पूर्व तैयारी की जिम्मेदारी है, वे वधु–वर के धार्मिक भिन्नताएँ, मिश्र विवाह की संभावित जोखिमों, बच्चों के धार्मिक जीवन आदि के बारे में चर्चा करे और उचित निर्णय तक पहूँचने में सहयता करें । वही पुरोहित काथलिक पक्ष की घोषणा के बारे में गैर–काथलिक पक्ष को अवगत कराएँ ।

2.1.3 विवाह की धर्मशिक्षा

अंतर–धर्म मिश्र विवाह में दोनो वर और वधु को ख्रीस्तीय विवाह के स्वभाव, अनिवार्य गुणों एवं उद्देश्यों के बारे में धर्मशिक्षा दी जानी चाहिए ।

ख्रीस्तीय विवाह एक प्रतिज्ञा (covenant) है जिसके द्वारा एक पुरूष और एक स्त्री आजीवन (perpetual) के लिए साझेदारी (partnership) स्थापित करते है जिसका उद्देश्य पति–पत्नी का कल्याण, बच्चों को जन्म देना एवं ख्रीस्तीय विश्वास के अनुसार पालन पोषण करना है । बपतिस्मा प्राप्त लोगों के लिए आपस की इस प्रतिज्ञा (विवाह) को प्रभु ख्रीस्त ने संस्कार (sacrament) का गौरव प्रदान दिया है। [कानून 1055§1]

ख्रीस्तीय विवाह की उपरोक्त परिभाषा में ख्रीस्तीय विवाह का स्वभाव, अनिवार्य गुण एवं उद्देश्यों को अभिव्यक्त किया है ।

2.1.3.1 विवाह के उद्देश्य

विवाह के उद्देश्य (i) पति–पत्नी का कल्याण एवं (ii) बच्चों को जन्म देना और उनको ख्रीस्तीय विश्वास में पालन–पोषण करना हैं। इन में से किसी भी उद्देश्य के विरूद्ध विवाह संपन्न होता है तो ऐसा विवाह अमान्य घोषित किया जा सकता है ।

2.1.3.2 विवाह के अनिवार्य गुण

विवाह के अनिवार्य गुण [i] एकता (unity) और [ii] अविच्छेद्य (अटूट - indissolubility) हैं।

एकता का अर्थ – एक पुरूष और एक स्त्री के बीच विवाह । बहुपत्नित्व और बहुपतित्व केलिए ख्रीस्तीय विवाह में कोई स्थान नहीं है । विवाह के बाहर का लैंगिक संबन्ध विवाह की एकता के विरूद्ध है ।

अविच्छेद्य (अटूट) का अर्थ – विवाह आजीवन के लिए है जिसे पति/पत्नी स्वयं या अन्य लोग भंग नहीं कर सकते हैं । विवाह न केवल भंग नही किया जायें (not to be terminated) बल्कि भंग नही कर सकते (cannot be terminated) है। इन मूलभूत गुणों के विरूद्ध संपन्न विवाह अमान्य घोषित किया जा सकता है। काथलिक कलीसिया नागरिक अदालतों द्वारा दिया गया तलाक (divorce) मात्र को पर्याप्त नहीं मानती क्योंकि तलाक एकता और अविच्छेद्य के विरूद्ध है । अतः

वैवाहिक राहत के लिए काथलिक कलीसिया में भिन्न प्रक्रिया है जो कलीसिया की अदालतों में होता है ।

2.1.3.3 मिश्र विवाह एक उपसंस्कार

बपतिस्मा प्राप्त एक पुरूष और स्त्री के बीच स्थापित विवाह को काथलिक कलीसिया संस्कार मानती है । भिन्न धर्म मिश्र विवाह में एक पक्ष काथलिक और दूसरा पक्ष अन्य धर्मावंलंबी है जिसने बपतिस्मा ग्रहण नही किया है । कलीसिया मानती है कि ऐसा अंतर धर्म मिश्र विवाह संस्कार नहीं है क्योंकि एक पक्ष के लिए संस्कार और दूसरे के लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंतर धर्म विवाह को जो काथलिक कलीसिया के नियम और धर्मविधि के अनुसार संपन्न होने के बावजूद भी संस्कार का गौरव प्राप्त नहीं है बल्कि एक उपसंस्कार (sacramental) है और कलीसिया की महत्वपूर्ण धर्मविधि है ।

2.2 विवाह स्थल [कानून 1118§3]

अंतर धर्म मिश्र विवाह जिसमें एक पक्ष काथलिक है, उनका विवाह समारोह गिरजा घर में या अन्य उपयुक्त स्थान पर हो सकता है । सब से उपयुक्त स्थान काथलिक गिरजा घर ही है किंतु किसी मान्य कारणों से अन्य स्थान भी चुन सकते है ।

2.3 विवाह की धर्मविधि [कानून 1108]

काथलिक कलीसिया की विवाह धर्मविधि सरल है जिसमें वर–वधु, पुरोहित और दो साक्षी का उपस्थित रहना अनिवार्य है । पुरोहित वर–वधु से ईश्वर और कलीसिया के समक्ष विवाह के लिए अपनी मंजूरी प्रकट करने केलिए कहने पर, वर–वधु अपनी मंजूरी प्रकट करते है, जिसे पुरोहित कलीसिया के नाम में इन्हीं शब्दों से स्वीकार करते है,

> "आप ईश्वर और कलीसिया के समक्ष अपनी मंजूरी प्रकट किये है जिसे ईश्वर ने जोडा है उसे कोई मनुष्य अलग न करें ।"

विवाह की अनिवार्य धर्मविधि इतनी मात्र है ।

2.3.1 मिस्सा बलिदान

'विवाह की धर्मविधि' (The Rite of Marriage) क्र. 36 के अनुसार विवाह के अवसर पर मिस्सा बलिदान चढाने के संबन्ध में नियम इस प्रकार है –

- ❖ जब दोनों वर और वधु काथलिक है तो मिस्सा बलिदान चढाया जाता है । बिना मिस्सा बलिदान चढाये भी विवाह संपन्न किया जा सकता है ।
- ❖ काथलिक और बपतिस्मा ग्रहण किए गैर–काथलिक के बीच विवाह (Inter-denominational Marriages) मिस्सा बलिदान के बिना 'विवाह की धर्मविधि' क्र. 79–117 के अनुसार संपन्न किया जाता है । विवाह की धर्मविधि में मिस्सा बलिदान होना चाहे तो धर्माध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है ।
- ❖ अंतर धर्म मिश्र विवाह मिस्सा बलिदान के बिना 'विवाह की धर्मविधि' क्र. 118–143 के अनुसार संपन्न किया जाता है। मिस्सा बलिदान के लिए अनुमति का भी कोई प्रावधान नहीं है ।

2.3.2 पवित्र वचन की उद्घोषणा (Proclamation of the Word of God)

पवित्र वचन की उद्घोषणा में विश्वास के रहस्य एवं ख्रीस्तीय जीवन शैली सम्मिलित है । अतः अन्य धर्म के लोगों को पवित्र वचन की उद्घोषणा करने (धर्मग्रन्थ से पाठ पढने) हेतु आमंत्रित नहीं कर सकते है ।

प्रवचन (homily) पुजन पद्धति का अभिन्न हिस्सा है जो धर्माध्यक्ष, पुरोहित या डीकन ही दे सकते है क्योंकि प्रवचन विश्वास के रहस्यों का तथा ख्रीस्तीय जीवन का प्रस्तुतीकरण है जो काथलिक कलीसिया की शिक्षा एवं परम्परा के अनुरूप होना जरूरी है । अतः अन्य धर्म के लोगों को मिस्सा बलिदान में प्रवचन देने के लिए अनुमति/आंग्रह नही किया जाता ।

2.4 विवाह द्विसमारोह (Double Celebration)

अंतर धर्म मिश्र विवाह में अक्सर दो समारोह होता है – एक काथलिक चर्च में और दूसरा गैर–ईसाई धर्मविधि (मन्दिर, मज़िद, गुरूद्वारा, या आदिवासी प्रथा) के अनुसार । काथलिक कलीसिया विवाह में द्विसमारोह को वर्जित किया है [कानून 1127§3] क्योंकि (i) द्विसमारोह काथलिक विवाह समारोह की पवित्रता को कम करती है ; (ii) वधु–वर का अपने अपने धर्म के विवाह को ज्यादा मान्यता देने और दूसरी विधि को कम समझने की संभावना है जिसके फलस्वरूप दोनो पक्ष की मंजूरी (consent) आपस में मेल न खाने का जोखिम बना रहता है ।

भारत में कई अंतरधर्म विवाहों में द्विसमारोह संपन्न होते हैं जिसका दूरगामी परिणाम हो सकता है । फिर भी कलीसिया द्विसमारोह को सहिष्णुता से देखती है और निम्न शर्तों/नियमों का पालन करने के लिए विश्वासियों का आह्वान करती है –

(i) काथलिक चर्च में काथलिक विवाह विधि पहले संपन्न हो और बाद में अन्य धर्म विधियों में;

(ii) काथलिक विवाह विधि में वर–वधु ने मंजूरी की जो घोषणा की है, उसको दूासरी विधि में दुहराया न जायें;

(iii) लोकनिन्दा (scandal) का कारण न बनें ।

अंतरधर्म विवाह में द्विसमारोह के बडे दूरगामी परिणाम एवं कई समस्याओं की जड बन सकते है क्योंकि भारत में भिन्न धर्म के लोगों के लिए भिन्न व्यक्तिगत नियम लागू है । व्यक्ति का धर्म एवं विवाह धर्म विधि पति–पत्नी के व्यक्तिगत नियम निर्धारित करते हैं । हिंदू–काथलिक अंतर–धर्म विवाह चर्च में संपन्न होता तो ईसाई विवाह अधिनियम 1872 पति–पत्नी पर लागू होगा जबकि मन्दिर में या हिन्दू विवाह विधि के अनुसार विवाह होता है तो हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 लागू होगा । विभिन्न व्यक्तिगत नियमों के दूरगामी परिणाम होते हैं जिसका विश्लेषण अध्याय –3 'मिश्र विवाह एवं व्यक्तिगत नियम का प्रभाव' में दिया गया है ।

***

अध्याय–3

मिश्र विवाह एवं व्यक्तिगत नियम का प्रभाव

3.1 मिश्र विवाह में धर्मविधि या अनुष्ठान का चयन
3.1.1 ईसाई–हिंदू विवाह
3.1.2 ईसाई–मुसलमान विवाह
3.1.3 ईसाई–पार्सी विवाह
3.1.4 ईसाई–यहूदी विवाह
3.1.5 ईसाई–आदिवासी विवाह
3.2 विशेष विवाह अधिनियम 1954
3.2.1 प्रायोज्यता
3.2.2 शदी के लिए शर्तें
3.2.3 विशेष विवाह अधिनियम के अंतरगत मिश्र विवाह का परिणाम

विवाह, परिवार, गोद लेना, भरण–पोषण, विरासत आदि विषयों को भारत में व्यक्तिगत नियम (Personal laws) माना गया है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पार्सी, यहूदी, आदिवासी लोगों के लिए भिन्न–भिन्न व्यक्तिगत नियम है। कई व्यक्तिगत नियम लिखित है तो कुछेक केवल प्रचलित दस्तूर या परम्परा है। इन सभी

व्यक्तिगत नियमों को देश के नागरिक नियमों की संज्ञाा दी गयी है। विवाह संबन्धित विभिन्न व्यक्तिगत नियमों एवं उनकी प्रायोज्यता (applicability) नीचे तालिका में दी गयी है:–

धर्म	नियम / अधिनियम	प्रायोज्यता (applicability)
हिन्दू	हिन्दू विवाह अधिनियम 1955	➢ दोनो वर–वधु हिन्दू होना चाहिए । ➢ मिश्र विवाह संभव नहीं ।
ईसाई	(भारतीय) ईसाई विवाह अधिनियम 1872 (भारतीय) विवाह विच्छेद अधिनियम 1869	➢ वर या वधु (एक पक्ष) ईसाई होना अनिवार्य। ➢ ईसाई व्यक्ति अन्य धर्म के वर/वधु से विवाह कर सकते है (मिश्र विवाह संभव) ।
मुस्लिम	मुस्लिम व्यक्तिगत नियम (शरियत) प्रयुक्ति अधिनियम –1937 मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939	➢ वर और वधु मुसलमान होना अनिवार्य । मिश्र विवाह का प्रावधान बहुत सीमित है – (सुन्नी मुस्लिम मुसलमान पुरूष को 'किताबिया' स्त्री से विवाह करने की अनुमति है।)
पार्सी	पार्सी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 (Amended 1988)	➢ वर और वधु पार्सी होना अनिवार्य। ➢ मिश्र विवाह का प्रवाधान नही ।
यहूदी	समाज के परम्परागत अनुष्ठानों/ नियमों के अनुसार विवाह । (Customary laws)	➢ वर और वधु यहूदी होना अनिवार्य ➢ मिश्र विवाह का प्रवाधन नही है।
जनजाति/ आदिवासी	समाज के परम्परागत अनुष्ठानों/ नियमों के अनुसार विवाह । (Customary laws)	➢ वर और वधु एक ही जनजाति का होना अनिवार्य। ➢ मिश्र विवाह का प्रवाधन नहीं। ➢ मिश्र विवाह के वर/वधु या परिवार को दण्ड देकर विवाह को मान्यता देने का प्रावधान है।

सभी नागरिकों के लिए	विशेष विवाह अधिनियम, 1954	➢ कोई भी नागरिक, धर्म के भेदभाव किए बिना विवाह कर सकते है। ➢ मिश्र विवाह का प्रवधान है।

इन व्यक्तिगत नियमों में विवाह से संबन्धित कई नियम व्यवस्था चकित करने वाली है। हम निसंकोच कह सकते कि इन व्यक्तिगत नियमों की कई कानून, भारतीय संविधान के मूल तत्व जैसे समत्व, भाईचारा एवं धर्मनिरपेक्ष से मेल नही खाते है। इस्लाम एवं आदिवासी धर्मों में बहुविवाह प्रथा को मान्यता दी गई है जबकि अन्य समाजों में बहुविवाह (Polygamy) को द्विविवाह (Bigamy) के दायरे में लाकर अपराध माना गया है और दण्डित किया जाता है। उत्तराधिकार एवं विरासत व्यक्ति के धर्म के आधार पर निश्चित किया जाता है। भले ही वह व्यक्ति उत्तराधिकारी रहे किन्तु हिन्दू नही है तो उसे हिन्दुओं की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नही माना जाता। व्यक्ति के धर्म के आधार पर बच्चों को गोद लेने एवं गोद देने में भिन्न कानून है जो प्रकट रूप से नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन है। धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत नियमों की प्रयुक्ति (application) को बदल डालता है। अन्तर धर्म मिश्र विवाह केवल ईसाई विवाह नियमों तथा विशेष विवाह अधिनियम 1954 में ही मान्य है, अन्य व्यक्तिगत नियमों में नही।

भिन्न धर्म के वर–वधु धर्म परिवर्तन किये बिना विवाह करना चाहे तो यह केवल विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत ही संभव है। यदि एक पक्ष ईसाई धर्म के है तो वे ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के अंतर्गत या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह कर सकते है।

3. 1 मिश्र विवाह में धर्मविधि या अनुष्ठानों का चयन

मिश्र विवाह का ही नहीं बलिक मिश्र विवाह विधि या अनुष्ठान का भी दूरगामी परिणाम होता है। वर एवं वधु जो मिश्र विवाह के लिए निर्णय लेते है, उन्हें सोच समझकर विवाह विधि का चयन करने का अहम फैसला लेना है क्योंकि विवाह विधि किसी का धर्म बदल सकता है और व्यक्तिगत नियम भी। ईसाई वर/वधु के लिए सबसे उत्तम विवाह विधि ईसाई धर्म विधि में विवाह करना है – अर्थात गिरजा शादी जो ईसाई विवाह अधिनियम 1872 धारा 5 के अन्तर्गत आता है। किसी कारणवश गिरजा शादी नही हो सकती तो दूसरा विकल्प विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार विवाह पंजियन अधिकारी के समक्ष विवाह करना है।

विशेष विवाह अधिनियम एक धर्मनिरपेक्ष नियम है जिसमें किसी भी धर्म के वर और वधु विवाह कर सकते है। अन्य धार्मिक विधियों में विवाह करने का मतलब है ईसाई वधु/वर अपने धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना रहा/रही है जिसका परिणाम काथलिक पक्ष केलिए कई दुष्परिणाम ला सकते है विशेषकर यदि काथलिक पक्ष महिला है । ईसाई वर/वधु का विवाह हिन्दू मुस्लिम, पार्सी, यहूदी या आदिवासी से होने पर धर्म एवं विवाह की धर्मविधि के अनुसार भिन्न प्रभाव एवं परिणाम संभावित है।

3.1.1 ईसाई–हिन्दू विवाह

ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में, जो व्यक्ति अपना धर्म, ईसाई धर्म घोषित करता है, वह ईसाई है (धरा 3)। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में हिन्दू वही है जो परम्परागत रूप से हिन्दू धर्म का पालन करते है या जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पार्सी या यहूदी नहीं है । बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म के लोगों को भी हिन्दू माना गया है। आदिवासी लोग हिन्दू नही है। (धारा 2)

ईसाई–हिन्दू वर वधुओं का विवाह हिन्दू अधिनियम के अनुसार नही हो सकता क्योंकि इस अधिनियम में दोनों वधु एवं वर हिन्दू होना अनिवार्य है। ईसाई वर/वधु जो मन्दिर में विवाह करते है, वे हिन्दू धर्म को अपनाने के बाद ही विवाह कर सकते है। फलतः ईसाई वर/वधु का विवाह के पूर्व हिन्दू धर्म में धर्म परिवर्तन होता है जसके बाद कानूनन वह ईसाई नही बल्कि हिन्दू बन चुके है। हिन्दू धर्म विधि में विवाह का परिणाम ईसाई पक्ष के लिए निम्न लिखित है : –

1. इसाई वर/वधु हिन्दू बन गया है और उनपर हिन्दू व्यक्तिगत नियम लागू होगा।

2. हिन्दू बन चुके ईसाई वर/वधु ईसाई धर्म में वापस आने हेतु ईसाई धर्मानुसार शादी सुधार करना चाहे तो नही हो सकता क्योंकि कम से कम वर या वधु ईसाई होना अनिवार्य है।

3. यदि पूर्व में ईसाई रहे पति–पत्नी ईसाई धर्म पुनः अपनाते या ईसाई धर्मानुष्ठाान करते है तो इसे धर्म परिवर्तन माना जा सकता है और इसे हिन्दू पति या पत्नी तलाक दे सकता है क्योकि धर्म परिवर्तन को हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 धारा 13 [ii] में विवाह भंग करने का आधार माना गया है ।

4. हिन्दू पति/पत्नी की मृत्यु या विवाह भंग होने पर ईसाई पत्नी को एवं उनके नाबालिक ईसाई बच्चों को मृतक पति के हिन्दू परिवार से भरण–पोषण (Maintenance) प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । [हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 धारा 24]

5. हिन्दू पति/पत्नी की मृत्यु या विवाह भंग होने पर ईसाई पति या पत्नी को अपने नाबालिक बच्चों के नैसर्गिक संरक्षण (natural guardianship) का हकदार नही होगा। 5 साल उम्र तक के बच्चों की अभिरक्षा (custody) मात्र मामूली तौर पर माता को होगी ।[हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 धारा 6]

6. ईसाई पति/पत्नी को अपने हिन्दू बच्चों के संरक्षण के लिए किसी संरक्षक को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है ।[हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 धारा 9]

7. ईसाई पति/पत्नी और उनके ईसाई बच्चे अपने हिन्दू संबधियों की किसी भी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने के हकदार नही है। [हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, धारा 26]

उपरोक्त कानूनों के जरिए ईसाई पति/पत्नी को हिन्दू धर्म में बने रहने तथा ईसाई धर्म में वापस न जाने के लिए बाध्य किया जाता है । अतः ईसाई वर/वधु हिन्दू से विवाह करना चाहे तो गिरजा शादी करें या विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार शादी करें। किसी भी प्रकार की हिन्दू धर्म विधि में विवाह करना ईसाई पक्ष के लिए समस्याओं का कारण बन सकता है।

3.1.2 ईसाई–मुसलमान विवाह

ईसाई वर/वधु का इस्लामिक धर्मविधि में विवाह करने के कानूनन परिणाम निम्न लिखित है : –

1. इस्लामिक धर्मविधि में विवाह करने का अर्थ मुसलमानों की नियम संधिता 'शरीयत' नियमानुसार विवाह करना होता है। इस प्रकार का विवाह मुस्लिम व्यक्तिगत नियम 'शरीयत' प्रयुक्ति अधिनियम 1937' के अंर्तगत आता है।

2. 'शरीयत' नियमानुसार मुसलमानों में मिश्र विवाह का कोई प्रावधान नहीं है। 'शरीयत' नियमानुसार विवाह करने वाले वर–वधु मुसलमान होना अनिवार्य है और इसलिए गैर मुस्लिम पक्ष को विवाह के पूर्व धर्म परिवर्तन करना होता है। मुसलमानी विवाह विधि के बाद ईसाई वधु/वर मुसलमान बन जाते है और उनके चाहने पर भी चर्च में उनकी शादी नही हो सकता क्योंकि दोंनों पति–पत्नी मुसलमान है।

3. धर्मान्तरित हुए ईसाई पति–पत्नी का व्यक्तिगत नियम इस्लामी व्यक्तिगत नियम होगा जिसके अनुसार विवाह, तलाक, भरण–पोषण, गोद लेना, अभिरक्षा (custody), संरक्षण (guardianship) उत्तराधिकार (succession) आदि पर निर्णय लिया जाता है।

4. इस्लाम धर्म में विवाह एक लौकिक कार्य और एक करार मात्र है। विवाह भंग करना मामूली बात माना जाता है जबकि ईसाई धर्म में विवाह अटूट है। मुसलमान पति अपनी पत्नी को बिना किसी प्रक्रिया के ही तलाक दे सकता है जबकि पत्नी की ओर से विवाह भंग करना काफी कठिन है। (22 Aug.2017 Supreme Court decision holds instant triple Talaq as unconstitutional and not other forms of talaq).

5. 'शरीयत' नियमानुसार मुस्लिम पुरूष 4 स्त्रीयों को विवाह में अपनी पत्नी बना सकता है (Quran 4,3)। बहुपत्नी विवाह मुसलमान में मान्य है। जो ईसाई स्त्री मुस्लमान पुरूष से इस्लामिक धर्म विधि में शादी करती है, उसे अपने पति के बहुपत्नी अधिकार को मानना होगा।

6. तलाक शुदा पत्नी को उनके पति से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार (except during *Iddat period*) नही है। उनके बच्चों को 2 वर्ष के उम्र तक ही पति भरण–पोषण देने को बाध्य है। जबकि अन्य सभी व्यक्तिगत नियमों तथा CrPC धारा 125 में तलाक शुदा पत्नी को अपने पति से भरण पोषण का अधिकार है।

7. इस्लाम धर्म स्वीकार की गई पत्नी यदि अपने पूर्व ईसाई धर्म में वापस आती है तो उनका विवाह अपने आप भंग हो जाता है। (मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 धारा 4)

8. इस्लाम धर्म त्यागने कि स्थिति में पत्नी अपने नबालिक बच्चों की अभिरक्षा (custody) के लिए हकदार नही होगी । (See Mixed Marriage Laws and Pastoral Care, p.171)

9. जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है वे अपने पति या उनकी किसी संबधी की संपत्तियों का उत्तराधिकारी नही होगा। पत्नी या उनके बच्चे जो ईसाई धर्मावलंबी है वे उत्तराधिकार के हकदार नहीं होंगे।

3.1.3 ईसाई–पार्सी विवाह

पार्सी लोगों का विवाह कानून 'पार्सी विवाह अधिनियम 1936' (संशोधन 1988) है। इस नियम के अनुसार पार्सी व्यक्ति गैर– पार्सी व्यक्ति से विवाह नही कर सकता । पार्सी विवाह के लिए दोनों वर–वधु पार्सी होना अनिवार्य है।

पार्सी धर्म में धर्म परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। अतः पार्सी एवं गैर पार्सी के बीच में पार्सी धर्मविधि (आर्शीवाद) के अनुसार विवाह नही हो सकता। इसी कारण से एक पार्सी और ईसाई का विवाह केवल 'ईसाई विवाह अधिनियम 1872' या 'विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत ही हो सकता है। इन्ही नियमों के अनुसार विवाह करने पर काथलिक (ईसाइ) वर/वधु के ईसाई विश्वास पर कोई खतरा नही बना रहता है। ईसाई और पार्सी के बीच विवाह ज्यादा सुरक्षित माना गया है ।

3.1.4 ईसाई–यहूदी विवाह

भारत में यहूदियो की संख्या बहुत कम है । यहूदी विवाह परम्परागत विधि अनुष्ठान के अनुसार होता है जिसको व्यक्तिगत नियम का दर्जा प्राप्त है।यहूदियों में मिश्र विवाह का प्रावधान नहीं है। यहूदी नियम 'तालमुड' (Talmud) एवं बाद का 'हस्काला' (Haskala) नियम संहिताऐं मिश्र विवाह को वर्जित करती है। ईसाई व्यक्ति जो यहूदी से विवाह करता है तो उनको ईसाई विवाह अधिनियम 1872 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत ही विवाह करना है। इसी कारण ईसाई वर/वधु पर यहूदि व्यक्तिगत नियमों का अवांच्छित प्रभाव नहीं होगा।

3.1.4 ईसाई–आदिवासी विवाह

परम्परागत नियमों व अनुष्ठानों के अनुसार आदिवासियों में विवाह किया जाता है। ये नियम अलिखित है। कुछेक आदिवासी लोग ईसाई धर्म स्वीकार किए है ओर उनकी शादी चर्च की धर्म विधि के अनुसार और आदीवासी प्रथा के अनुसार संपन्न होता है ताकि उनकी शादी को चर्च तथा आदिवासी समाज से मान्यता मिल सके । अच्छा यह है कि पहले चर्च विधि में शादी हो ओर उसके बाद आदिवासी परम्परागत शादी ताकि यह विवाह ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के अंतर्गत आ सके एवं वर–वधु पर ईसाई व्यक्ति नियम लागू हो।

आदिवासी विवाह नियम कम सैंद्धान्तिक अैर ज्यादा व्यवहारिक होता है। आदिवासियों में साधारण रूप से विवाह को आजीवन के लिए तथा एक पत्नी – एक पति प्रथा को आदर्श माना जाता है। द्विविवाह, दाम्पत्य च्युति जैसेः परगमन, व्यभिचार आदि को गलत माना गया है और ऐसे लोगों को समाज से बहिश्कृत किया जाता है । पुनः उन्हें किन्तु आदिवासी समाज में जोडने के लिए समाज के लोगों को भोजन देने एवं निर्धारित जुर्माना भरना पडता है ।

आदिवासी प्रथा व नियमों में विवाह की एकत्व (एक पत्नी–एक पति – unity) और अविच्छेद्यता (विवाह आजीवन केलिए जिसे तोड नहीं सकता – indissolubility) को दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता है। विवाह को असानी से तोड़ा जा सकता है और द्विविवाह (Bigamy) तथा बहु पतित्व या बहु पत्नित्व को भी कुछ हद तक मान्यता है। आदिवासी समूहों के परम्परागत नियम व दस्तूर के आधार पर ही देश के कानून प्रक्रिया आदिवासियों केलिए चलती है क्योंकि ये नियम दस्तूर आदिवासियों का व्यक्ति नियम है।

अतः ईसाई लोग गैर ईसाई लोगों से विवाह करने के विचार करने पर उपरोक्त बातों पर ध्यान दिया जायें तथा ऐसा मिश्र विवाह पहले कलीसिया की धर्म विधि के अनुसार संपन्न करें उसके बाद ही आदिवासी रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न करें। ऐसे करने में कोई दिक्कत है तो 'विशेष विवाह अधिनियम 1954' के अनुसार विवाह सम्पन्न करना ही उचित होगा।

3.2 विशेष विवाह अधिनियम 1954

जैसे ही इस अध्याय में प्रतिपादित किया गया है, ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के सिवा किसी भी अन्य व्यक्ति नियम में मिश्र विवाह का प्रावधान नहीं है । ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में एक पक्ष ईसाई होना अनिवार्य है । धार्मिक एवं व्यक्ति नियमों की सीमाओं को पार कर किसी भी धर्म या जाति के कानूनन योग्य लोगों को विवाह करने हेतु 'विशेष विवाह अधिनियम 1954' बनाया गया।

अन्य विवाह विधियों (ईसाइ, हिन्दू, मुस्लिम, पार्सी, यहूदि, आदिवासी) से संपन्न हुए विवाहों कों भी विशेष विवाह अधिनियम 1954 धारा 15–18 के अंन्द्रर्गत रजिस्टर किया जा सकता है।

3-2-1 प्रयोज्यता (Applicability)

1. हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, या यहूदी किसी भी धर्म या नास्तिक भी विशेष विवाह अधिनियम, 1 9 54 के तहत भी शादी कर सकते हैं।
2. अंतर-धर्म विवाह इस अधिनियम के तहत किया जाता है।
3. यह अधिनियम भारत के पूरे क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर) पर लागू होता है और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक दोनों इच्छुक पति-पत्नी तक फैलता है।
4. भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं - इस अधिनियम के तहत किया जाता है।
5. पार्टियों को जिले के विवाह रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट फॉर्म में अंतर्निहित विवाह की सूचना दर्ज करनी होती है। शादी के नोटिस देने के लिए एक पक्ष उस तारीख से पहले कम से कम तीस दिन के समय की अवधि के लिए उस जिले में रहता है ।

6ण नोटिस देने और उसे प्रकाशित करने के तीस दिन की समाप्ति के बाद ;fn किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता है तो विवाह विधिवत सम्पादित किया जा सकता है।

7. निर्दिष्ट विवाह कार्यालय में विवाह को विधिवत सम्पादित किया जा सकता है।

3.2.2 शादी के लिए शर्तें

1. वर/वधु के विवाह के समय उनका कोई विवाह जारी न रहता हो ।

2. वर कम से कम 21 साल का होना चाहिए, वधु कम से कम 18 साल की होनी चाहिए।

3ण वर/वधु को उनकी मानसिक क्षमता के संबंध में सक्षम होना चाहिए कि वे शादी के लिए वैध सहमति दे सकें।

4ण वर/वधु को निषिद्ध रिश्ते की डिग्री के भीतर नहीं आना चाहिए।

3.2.3 विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत मिश्र विवाह का परिणाम

विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह करने या अन्य विवाह विधियों से संपन्न हुए विवाहों कों भी विशेष विवाह अधिनियम 1954 धारा 15–18 के अंन्द्रर्गत रजिस्टर करने का परिणाम मिश्र विवाहित पति–पत्नी के लिए, निम्न लिखित हैः

1. इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने पर दोनो वर/वधु के व्यक्ति नियम नही बल्कि विशेष विवाह अधिनियम 1954' के प्रावधान दोनो वर/वधु पर लागू होगा ।

2. सम्पत्ति के उत्तराधिकार के संबन्ध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 धारा 39 लागू होगा ।

3. विवाह के बाद पति/पत्नि के धर्म परिवर्तन से विवाह पर कानूनन कोई बुरा असर न होगा क्योंकि धर्म परिवर्तन तलाक का कारण नहीं बनता।

4. धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) या स्वधर्मत्याग (Apostacy) से भी जाति विकलांगता हटाना अधिनियम (Caste Disabilities Removal Act)1850 में दिया गया सभी अधिकार जारी रहेगा । यह अधिनियम विशेष रूप से सम्नत्ति के उत्तराधिकार मामले में समान अधिकार दिया गया है ।

5. विवाह अमान्य (void) घोषित की जाती है या अमान्य घोषित करने लायक (voidable) है तो भी इस विवाह से जन्मे सभी बच्चे वैद्य माना जायेगा (धारा 26) ।

6. विवाह को भंग किये जाने पर निर्वाह–व्यय (alimony) एवं भरण–पोषण (Maintenance) के लिए अधिनियम में प्रावधान है (धारा 37) ।

7. द्विविवाह (bigamy) के लिए कोई प्रावधान नहीं है तथा द्विविवाह को भारतीय दण्ड संहिता के धारा 494.495 के अंतर्गत लाकर दण्डित किया गया है (धारा 43–44) । द्विविवाह (bigamy) को अमान्य (void) माना गया है ।

8. बच्चों की अभिरक्षा, भरण–पोषण और शिक्षा के संबन्ध में जिला न्यायालय बच्चों के हित एवं इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा, न की किसी पक्ष के धर्म के आधार पर (धारा 38) ।

9. आपसी सहमति (mutual consent) से विवाह को कुछ शर्तों पर रद्ध किया जा सकता है (धारा 28) ।

10. विवाह से संबधित राहतों (matrimonial relief) के लिए सिविल प्रकिया संहिता (Civil Procedure Code), 1 9 08 के तहत, जहॉ तक हो सकता है, सभी कार्यवाही होगी।

उपसंहार

अंतर धर्म मिश्र विवाह के दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही अंतर धर्म मिश्र विवाह में, विशेषकर लडकियॉ प्रवेश करना चाहिए । एक ईसाई वर/वधु अन्य धर्मवलंबी से विवाह करने का निशचय किया है तो उनके लिए चर्च (कलीसिया) के धर्म विधि के अनुसार ही विवाह करना सबसे अनुयोज्य होगा। किसी कारणवश ऐसा संभवित नहीं है तो वे विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह करें ताकि ईसाई वर/वधु का धार्मिक विश्वास, विवाह एवं परिवार संरक्षित रहें।

***

उपसंहार

एक ही धर्म के लोगों के बीच के विवाह साधारणः अनुयोज्य माना गया है क्योंकि ऐसे विवाह में पति– पत्नी एवं उनके परिवार में समन्वय और सुव्यवस्था आसानी से कायम कर सकता है तथापि पति – पत्नी भिन्न धर्म के होने के कारण विवाह में ऐसा कोई दुर्लध्य विघ्न पैदा नही करता जब दोनों पति – पत्नी अपने धर्म के तत्वों व आदर्शों को एक साथ लाने और एक दूसरे से सीखने तथा एक दूसरे को उत्प्रेरित करने को तैयार हो जाऐं। मिश्र विवाह की मुश्किलों को कम अनुमानित न करें क्योंकि प्रेमोन्माद एवं द्रुत निर्णय जो अक्सर मिश्र विवाह में होता है, वही कई प्रकार की समस्याओं का जड़ बन सकता है।

धर्म के आधार पर भारत देश में विभिन्न व्यक्ति नियम है जो मिश्र विवाह में बड़ा बाधा उत्पन्न करता है। सब व्यक्ति नियमों में कई ऐसा नियम है जो नैसर्गिक अधिकारों का हनन करता है। इस कारण देश में बहुत सारे लोग समान नागरिक संहिता (UNIFORM CIVIL CODE) के पक्ष में है जबकि बहुत सारे इसके खिलाफ भी है। भारतीय विधि आयोग (Law commission) अध्यक्ष जस्टिस B.S. चौहान का सुझाव काफी तर्कसंगत और प्रायोगिक है कि **समान नागरिक संहिता स्थपित करने के बदले व्यक्ति नियमों को सुधारा जाये ताकि ऐसे नियमों का विलोपन किया जाये जो भारत के संविधान के मूल अधिकारों को खण्डन करता है।**

जब तक उपरोक्त सुझाव के आधार पर व्यक्ति नियमों में सुधार लाने तक एक ईसाई वर/वधु अन्य धर्मवलंबी से विवाह करने का निशचय किया है तो उनके लिए चर्च (कलीसिया) के धर्म विधि के अनुसार ही विवाह करना सबसे अनुयोज्य होगा। किसी कारणवश ऐसा संभवित नहीं है तो वे विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह करें ताकि ईसाई वर/वधु का धार्मिक विश्वास, विवाह एवं परिवार संरक्षित रहें।

***